

अपचारी किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन

प्राप्ति: 26.07.2026
स्वीकृत: 12.09.2026

70

नमीता वर्मा

शोधार्थी (शिक्षाशास्त्र विभाग)

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

ईमेल: namitaverma110@gmail.com

डॉ० मणि जोशी

एसोसिएट प्रोफेसर

जे०एन०एम० पी.जी. कॉलेज, लखनऊ

ईमेल: manijoshi9@yahoo.in

सारांश

कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक-छात्र दोनों की ही मानसिक स्थिति का उत्तम होना आवश्यक है। जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सुचारु रूप से चल सके। मानसिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से किसी व्यक्ति विशेष का अपराधी व्यवहार उसकी आवश्यकता के लक्षणों पर निर्भर करता है, जो सामाजिक तरीकों से पूरी नहीं हो सकती है। अपचारी किशोर जो नियम या कानून का उल्लंघन करता है। वह अपचारी किशोर कहलाता है। अपचारी किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में अनुवांशिक दशांश, वातावरणीय दशांश, मनोवैज्ञानिक दशांश, आदि कारक हैं, जो अपचारी किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। मानसिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से किसी व्यक्ति विशेष का अपराधी व्यवहार उसकी आवश्यकता के लक्षणों पर निर्भर करता है, जो सामाजिक तरीकों से पूरी नहीं हो सकती है। ऐसे बालक सामान्यतः मानसिक तनाव एवं दोष से पीड़ित होते हैं। ऐसे किशोरों के व्यक्तित्व को जानना न सिर्फ आवश्यक है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य का भी अध्ययन आवश्यक है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। अर्थात् अपचारी किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों को न सिर्फ जानना बल्कि उन कारकों का निराकरण एवं रोकथाम करना भी अति आवश्यक है। अपचारी किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य के रोकथाम हेतु रचनात्मक कार्य करने के अवसर प्रदान करना, स्वस्थ मनोरंजन के साधन जुटाना, शारीरिक एवं मानसिक दंड का निषेध, पारिवारिक वातावरण में सुधार, नैतिक शिक्षा प्रदान करना आदि के माध्यम से अपचारी किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य रखना न सिर्फ किशोर का बल्कि उनके माता-पिता एवं विद्यालय के शिक्षकों का भी दायित्व है कि वह अपने छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को

**This article has been peer-reviewed by the Review Committee of Shodhmanthan.*

स्वस्थ रखें। जिससे अपचारी किशोर समाज की मुख्यधारा से जुड़ सके एवं उनका सर्वांगीण विकास हो सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में भी समावेशी विकास को प्रमुखतः दी गयी है।

मुख्य शब्द

अपचारी किशोर, मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया, समावेशी विकास, राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020

प्रस्तावना

किशोरावस्था को आंधी व तूफान की अवस्था मानी जाती है क्योंकि किशोरावस्था में विभिन्न प्रकार के शारीरिक व मानसिक परिवर्तन निरन्तर होते हैं। जो किशोरों को सकारात्मक-नकारात्मक दिशा की ओर ले जाते हैं। यदि किशोर सकारात्मक दिशा की ओर मुड़ता है, तो वह समाज में विशेष लाभकारी होता है। परंतु यदि नकारात्मक दिशा की ओर जाता है, तो समाज के लिए विशेष हानि पहुंचाता है। अपचारी किशोर भी इसी श्रेणी में आते हैं। अपचारी किशोर सामाजिक रूप से विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं। जिनकी आयु 07 वर्ष से 18 वर्ष के अंतर्गत होती है। अपचारी किशोर द्वारा किए गए अपराध को "बाल-अपराध" कहते हैं तथा ऐसे बालकों को "अपचारी बालक" अपचारी किशोर कहते हैं। ऐसे किशोरों के व्यक्तित्व को जानना न सिर्फ आवश्यक है, बल्कि उनके मानसिक स्वास्थ्य का भी अध्ययन आवश्यक है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। ऐसे कई कारक हैं, जो उनके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। अपचारी किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य को जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक-पर्यावरणीय कारकों सहित विभिन्न कारक प्रभावित करते हैं, जिनमें आनुवंशिकी, हार्मोन परिवर्तन, पारिवारिक संबंध, सहकर्मी दबाव, मादक द्रव्यों का सेवन, सामाजिक अलगाव, बचपन का आघात, शिक्षा व आर्थिक अस्थिरता आदि सम्मिलित हैं। इन कारकों की उपस्थिति से चिंता, अवसाद और अन्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं।

अतः अपचारी किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में न सिर्फ जानना बल्कि उन कारकों का निकाकरण एवं रोकथाम भी करना अति आवश्यक है।

अपचारी किशोर- प्रत्येक समाज के अपने नियम और कानून होते हैं, जब बालक अपने सामाजिक नियमों, मान्यताओं और मूल्यों के विपरित व्यवहार करता है अथवा सार्वजनिक नियमों को तोड़ता है, तो उसके इस प्रकार के व्यवहार को कदाचार, अपचार या बाल अपराध (juvenile delinquency) कहा जाता है। सामान्यतः बाल-अपराध किसी नियम या कानून का उलंघन है और ऐसे किशोरों को "अपचारी किशोर" कहते हैं।

C. but के अनुसार- "हम उस बालक को अपराधी समझे, जिसकी समाज विरोधी प्रवृत्तियाँ इतनी बढ़ जाती हैं, कि प्रशासन को उसके विरुद्ध कोई कारवाई करनी पड़ती है"

मलिक न्यूमेयर के अनुसार- "एक बाल-अपराधी निर्धारित आयु से कम आयु का वह व्यक्ति है, जो समाज विरोधी कार्य करने का दोषी है और जिसका दुराचार कानून का उलंघन है।"

अतः बाल अपराध को विभिन्न मनोवैज्ञानिक एवं समाजशास्त्रीयों ने अपने-अपने दृष्टिकोण से परिभाषित किया है। (शर्मा, 2016)

शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने किशोरावस्था को, जो 13 वर्ष की आयु से प्रारम्भ होकर 19-20 साल की आयु तक की होती है, एक महत्वपूर्ण अवस्था बताया है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में किए गए शोधों के परिणामस्वरूप किशोरावस्था को व्यक्ति के जीवन की मुख्य अवस्था के रूप में स्वीकार किया गया है और आजकल मनोवैज्ञानिका के बीच इस बात की सहमति है कि यह अवस्था बाल्यावस्था तथा वयस्क अवस्था के बीच पारगमन अवधि होती है जिसे सामान्यतः कई कारणों से तनाव एवं आंधी की अवस्था भी कहा जाता है। अतः अपचारी किशोरो का अध्ययन महत्वपूर्ण बताया गया है। (सिंह, 2021)

मानसिक स्वास्थ्य— मानसिक स्वास्थ्य एक तरह का समायोजी व्यवहार है, जो व्यक्ति के जीवन के सभी प्रमुख क्षेत्रों—सावेगिक, सामाजिक एवं शैक्षिक आदि में सफलतापूर्वक समायोजन करने में मदद करता है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्तित्व की विभिन्न इच्छाओं, आवश्यकताओं, शीलगुणों आदि के बीच एक ऐसा सामंजस्य रखता है कि जीवन के सभी क्षेत्र में एक संतुलित समायोजी व्यवहार करने में समर्थ हो जाता है। (सिंह)

मानसिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण को मानने वालों के विचार से अपराध व्यक्ति विशेष की आवश्यकताओं की अभिव्यक्ति है। जब व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति समाज द्वारा प्रस्थापित तरीकों से नहीं कर पाता अथवा नहीं कर सकता है तब उनकी पूर्ति के लिए वह ऐसे तौर-तरीके अपनाता है, जो समाज द्वारा मैन मान्य नहीं होते हैं।

इस प्रकार जब कोई व्यक्ति अपनी अक्षमता या सामाजिक, आर्थिक बाधाओं के कारण अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता, तब वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समाज विरोधी तरीकों को अपनाता है, तब उसे बाल अपराधी की संज्ञा अवश्य दी जाती है, परन्तु उसमें अपराध भावना का विकास नहीं होता है। इस विचार को उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। मान लीजिए एक किशोर चाहता है कि उसके माता-पिता उसकी ओर ध्यान दें, ओर उसके कार्यों को स्वीकृति प्रदान करें, परन्तु माता-पिता उसकी ओर ध्यान नहीं दें, तब बालक अपने को पैसा चुराने, घर से भागने एवं तोड़ फोड़ के कार्यों में फंसा लेता है, ताकि वह उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सके।

इस प्रकार मानसिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से किसी व्यक्ति विशेष का अपराधी व्यवहार उसकी आवश्यकता के लक्षणों पर निर्भर करता है, जो समाज सम्मत तरीकों से पूरी नहीं हो सकती है। ऐसे बालक सामान्यतः मानसिक तनाव एवं स्नायु दोष से पीड़ित होते हैं। (शर्मा, 2016)

मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक— : अपचारी किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक हैं, जो उसके मानसिक स्वास्थ्य को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों ही रूपों में प्रभावित करते हैं। जो इस प्रकार है—(शर्मा 2016)

अनुवांशिक दशाएं— मानसिक किशोरी मानसिक स्वास्थ्य को अनुवांशिक दशाएं प्रभावित करती हैं। अनुवांशिक दशाएं जैसे— शारीरिक लक्षण, बौद्धिक निर्बलता, मानसिक रोग आदि अनुवांशिक दशाएं प्रभावित करते हैं। बुद्ध तथा वेद ने अपने अध्ययनों के आधार पर यह बताया है

कि शारीरिक दोष के कारण बच्चे को समाज में उचित स्थान नहीं मिलता। अतः उसमें अपेक्षा और हीन भावना का जन्म होता है।

मनोवैज्ञानिकों की मानता है कि सामान्य व्यक्तियों की अपेक्षा बाल अपराधियों में कुछ कम बुद्धि होती है। अनुसंधानों से यह बात प्रमाणित हो चुकी है कि बाल अपराधियों में बुद्धि लब्धि प्रायः 75 से कम पायी जाती है, उनके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं।

वातावरणीय दशाएं— वातावरणीय दशाएं से तात्पर्य किशोरों की पारिवारिक स्थिति से है, जिसके अंतर्गत—दोषपूर्ण पारिवारिक अनुशासन, दोषपूर्ण वातावरण एवं इसके साथ ही साथ घर से बाहर की दशाएं भी किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। आ. एस. सिंह के अनुसार—“बाल-अपराध के समस्त कारकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक वातावरण संबंधी है”

शारीरिक दशाएं— कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, परंतु यदि शारीरिक विकास उचित ढंग से नहीं हुआ है, तो किशोरों में विभिन्न शारीरिक कमी जैसे— किसी प्रकार का शारीरिक दोष, विकासात्मक अवस्था आदि का अपूर्ण विकास भी किशोर को बाल अपराध की ओर धकेल देता है।

मनोवैज्ञानिक दशाएं— अपचारी किशोरों की मनोवैज्ञानिक दशाएं—चाहे वह आनुवांशिक रूप में हो, अथवा अर्जित रूप में हो। आनुवांशिकीय से तात्पर्य— विशिष्ट प्रवृत्तियां, संवेगात्मकता तथा अर्जित मनोवैज्ञानिक दशाएं जैसे— अभिरुचियां, भावना ग्रंथियां आदि का संतुलित उचित प्रकार से नहीं होने पर किशोर प्रायः अपराधिक प्रवृत्तियों की ओर चले जाते हैं।

अतः उपयुक्त दशाएं अपचारी किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं।

अपचारी किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य के सुधार के उपाय—(शर्मा, 2016)

रचनात्मक कार्य करने के अवसर प्रदान करना।

स्वस्थ मनोरंजन के साधन प्रदान करना।

ऋणात्मक संवेगों के शोधन के अवसर प्रदान करना।

विद्यालय में संतोषजनक, शांतिपूर्ण वातावरण प्रदान करना।

पारिवारिक वातावरण में सुधार करना।

नैतिक शिक्षा प्रदान करना।

अच्छे साहित्य को विद्यार्थियों को उपलब्ध कराना।

धार्मिक उपदेश सुनने के लिए प्रोत्साहित करना।

अभिभावक सम्मेलनों का आयोजन करना।

अतः उपयुक्त तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि अपचारी किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य को स्वस्थ रखना न सिर्फ किशोरों का बल्कि उनके माता-पिता एवं विद्यालय के शिक्षकों का भी दायित्व है कि वह अपने छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को स्वस्थ रखें साथ ही साथ उनको वह अवसर प्रदान करें, जिससे उनके मानसिक स्वास्थ्य को सही दिशा व दशा का विकास किया जा सकें।

संदर्भ

1. शर्मा शशीप्रभा, (2016). अपचारी बालक, कनिष्क पब्लिशर्स
2. Flag, अरुण कुमार. (2021). आधुनिक असामान्य मनोविज्ञान, मोतीलाल बनारसीदास पब्लिशिंग हाउस
3. भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय, राष्ट्रीय नीति-2020 retrived from www.Education.gov.in